समाचार–प्रकाशनार्थ :–

शासकीय सेवा के दौरान नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करे

स्वच्छता सर्वेक्षण –2021 के तहत शहर के कचरामुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रम के दौरान नगर निगम कर्मियों ने भी लिया स्वच्छता का संकल्प

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के क्रम में नगर निगम सभागार में जागरुकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान नगर को स्वच्छ बनाने में शासकीय तथा अशासकीय स्कूलो, कार्याललयों आदि की भूमिका पर चर्चा की गई। इस मौके पर उपायुक्त श्री निशिकांत शुक्ला ने कहा कि नगर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। सबके सहयोग से ही रतलाम शहर साफ–सुथरा और सुंदर बनेगा। इसके लिए प्रत्येक निगमकर्मी को जागरुक होकर नागरिक कों भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। लोगों को जागरूक करने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से हर घर में स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा सकता है।

यहां उपस्थित सहायक आयुक्त श्री विकास सोंलकी ने शहर के कचरा मुक्त स्थलों, स्कूलों, कालेजों, शासकीय–अशासकीय संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों आदि को साफ–सुथरा बनाकर उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छता संदेशों की वाल पेंटिंग कराए। स्कूल के विद्यार्थियों के बीच विभिन्ना प्रतियोगिताएं आयोजित करके भी स्वच्छता का संदेश दिया जा सकता है। शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर स्कूल के आसपास के पार्क अथवा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थल की भी साफ–सफाई तथा सौन्दर्यीकरण में योगदान दे सकते हैं शहर साफ–सुथरा तथा सुंदर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता जागरूकता के लिए तैयार की गई व्यापक कार्य योजना को सफल बनाने का प्रयास सभी करे।

कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी भी रखी गई। जिसमें सही जवाब देने वाले निगमकर्मी श्री नासीर मसिता, नंदकिशोर देवरकरण, अब्दुल वहाब, जितेन्द्र, सुनील मोतीलाल, अफसार और धीरजशाह को उपायुक्त श्री शुक्ला,सहायक आयुक्त श्री सोंलकी और नीरजशुक्ला ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ–सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ–साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर–1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

निगम कर्मचारी शत–प्रतिशत टीका लगवाकर नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने विभागवार टीकाकरण की समीक्षा की

आज भी लगाये जायेंगे चार स्थानों पर टीके

रतलाम 18 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम सभागृह में विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर निगम कर्मचारियों को लगाये गये टीके की विभागवार समीक्षा की।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में कहा की विभिन्न विभागों के शेष रहे लगभग 800 कर्मचारी 19 फरवरी को अनिवाये रूप से डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाष नगर कम्यूनिटी हॉल पर उपस्थित होकर टीका लगवायें व टीकाकरण अभियान में नगर निगम रतलाम को नम्बर 1 बनायें। नगर निगम के 2033 कर्मचारियों में से अब तक 1245 कर्मचारी कोरोना का टीका लगवा चुके है।

कर्मचारियों की सुविधा हेतु 19 फरवरी शुक्रवार को भी डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाष नगर कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08:30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, उद्यान प्रभारी श्री अरविन्द दशोत्तर, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, श्री कपील मारोठिया, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पारा, वार्ड दरोगा आदि उपस्थित थे।

पात्र निविदादाताओं को एमआईजी फ्लेट व दुकानों के मिले सहमति पत्र
निगम आयुक्त श्री झारिया ने शेष राशि जमा कराने की दी जानकारी

रतलाम 18 फरवरी । प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में निर्मित नगर पालिक निगम रतलाम के स्वामित्व की दुकान, एम.आई.जी. फ्लेट व महू रोड स्थित डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान हेतु जारी की गई ई–निविदा के माध्यम से पात्र निविदादाताओं निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शेष राशि जमा कराने हेतु सूचना–पत्र प्रदान किये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने दुकान, एम.आई.जी. फ्लेट के पात्र निविदादाताओं को निगम कार्यालय में आमंत्रित दुकान एवं फ्लेट क्रय करने हेतु बधाई प्रेषित कर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया व शेष राशि जमा कराने हेतु सूचना–पत्र प्रदान किये।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर के दुकाने व एम.आई.जी. फ्लेट फ्री होल्ड पर विक्रय किये गये है रजिस्ट्री पश्चात् क्रेता को पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त होगा इसके अलावा महू रोड स्थित डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर की दुकान लीजरेंट पर दी जायेगी।

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में निर्मित दुकानों की निविदा में श्री वहीद खान शेख, 88 मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस–4, श्री गोपाल परमार, 61 मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस–5, श्री दिनेश परमार, 149, मुखर्जी नगर दुकान क्रमांक एस–6, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, 71 नेमीनाथ विहार मुखर्जी नगर के पास दुकान क्रमांक एस–8, श्री मनीष कुमार जायसवाल, शक्ति नगर दुकान क्रमांक एस–9, श्री जुगल किशोर पाण्ड्या, सज्जन मिल रोड मेन गेट के सामने दुकान क्रमांक एस–10, श्री अभिषेक सोलंकी, 12, गणेश नगर दुकान क्रमांक एस–11 व श्री सिद्धार्थ अग्निहोत्री, 63, एम.बी. नगर कस्तुरबा नगर दुकान क्रमांक 12 के लिये पात्र पाये गये। इसी तरह एमआईजी फ्लेट हेतु श्रीमती बीना पवांर, 559, काटजू नगर एमआईजी फ्लेट क्रमांक बी/201 व श्रीमती सरिता जैन, 122, सज्जन मिल रोड

एमआईजी फ्लेट क्रमांक ए/308 के लिये पात्र पाये गये। इसके अलावा महू रोड स्थित डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान क्रमांक 2 हेतु श्री प्रांशु पिता विजय अग्रवाल सैलाना बस स्टैण्ड पात्र पाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर उपस्थित निविदाकारों को शेष राशि जमा कराने, रजिस्ट्री बनवाने आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी साथ आमंत्रित बैंक अधिकारियों द्वारा दुकान व फ्लेट के ऋण की जानकारी दी।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, श्री निशिकान्त शुक्ला, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, राजस्व उप निरीक्षक श्री सुनील कपूर आदि उपस्थित थे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर फुटकर विक्रेताओं पर किया जा रहा है जुर्माना
पैलेस रोड क्षेत्र में 18 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 18 फरवरी । नगर को साफ–स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जी, फल–फ्रुट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रहीं है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दीं गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पैलेस रोड क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत आनन्दीलाल पर 100, जयंतीभाई, अजय, मंगलसिंह, सूरज, संजय, बग्दी, रेखाबाई, भारतीबाई, दिनेश, अम्बाराम, रमेश, नाथुलाल, हर्ष सिंह चौहान, जैनमल, हर्ष, जितेन्द्र व चन्दाबाई पर 50–50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई।

कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में गंदगी करने पर जमीन पर बैठकर व्यवसाय करने वालो पर 50 रूपये व ठेलागाड़ी पर व्यवसाय करने वालो पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किये जाने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जावेगी।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 29,80,144/— संपत्तिकर व 6,77,805/— जलकर जमा कराया

रतलाम 18 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/— व जलकर 6,000/—, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/— व जलकर 55,775/—, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/— व जलकर 49,010/—, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/— व जलकर 43,670/—, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/— व जलकर 29,280/—, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/— व जलकर 19,850/—, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/— व जलकर 48,220/—, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/— व जलकर 14,000/—, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/— व जलकर 86,540/—, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/— व जलकर 3,76,905/—, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/— व जलकर 76,470/—, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/— व जलकर 47,595/—, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/— व जलकर 22,680/—, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/— व जलकर 55,320/—, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/— व जलकर 59,500/—, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/— व जलकर 6,71,025/—, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/— व जलकर 19,000/—, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/— व जलकर 64,780/— की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 29,80,144/— संपत्तिकर व 6,77,805/— जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

119 दिनों में 147 वॉल्व व 808 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 18 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया

के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 18 फरवरी तक 147 वॉल्व व 819 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

"रतलाम जलशक्ति अभियान" व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 18 फरवरी शुक्रवार को मिल्लत नगर कार्नर, ऑफिसर्स कालोनी, शास्त्री नगर, हाट रोड, टैंकर रोड, सखवाल नगर, काटजू नगर व कस्तुरबा नगर जैन मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश
स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 18 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 18 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 18 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 18.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.